


281



## न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2012 पुनरीक्षण

R- 2580-II/2012

मुकेश भागवत क्षत्रि.  
17.8.12  
राजस्व मण्डल म.प्र.

सुखना तनय बौरा कुम्हार  
निवासी ग्राम महाराजपुर तहसील गौरिहार,  
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. हिरवा तनय तांती कुम्हार
2. लटोरा तनय बौरा कुम्हार
3. भूरा तनय बौरा कुम्हार

समस्त निवासीगण ग्राम महाराजपुर,  
तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

WS  
मुकेश भागवत  
17-8-12 लडाकेट  
ग्वालियर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 80 अपील/ 04-05 में पारित आदेश दिनांक 16.7.12 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कं. 1 हिरवा ने नायब तहसीलदार जुझारनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.5.04 के विरुद्ध असत्य एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित अपील प्रस्तुत की है। जबकि नायब तहसीलदार जुझारनगर ने जो बंटवारा आदेश दिनांक 21.5.04

- 2 -

**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2580-दो/2012

जिला छतरपुर

सुखना विरूद्ध हिरवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 80/अपील/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 16-07-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p style="text-align: right;">                       (आर.के. जैन)                      सदस्य                 </p> <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">25/2/2019</p>